कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-119/2016-17/

दिनांक : /06/2017

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,

क्षेत्र पंचायत- कोट

जिला- पौड़ी गढ़वाल

विषय : क्षेत्र पंचायत कोट का वर्ष 2014-15 से वर्ष 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 4 (ब)-1 में **01** प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में **04** प्रस्तर तथा STAN मे **01** प्रस्तर है। इस प्रस्तर को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग-4 (ब)-2 के प्रस्तर की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी **(निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड)** के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या- 119/2016-17/ **दिनांक: /06/2017**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, सहस्त्रधारा मार्ग, आई0टी0पार्क के पास, देहरादून

3- निदेशक, लेखापरीक्षा(आडिट निदेशालय द्वितीयतल- आयुक्त कर भवन, जोगीवाला,मसूरी बीईपास, रिंग रोड देहरादून,

4- जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तरकाशी

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2014-15 से 2015-16 के लिये खण्ड़ विकास अधिकारी, क्षे.पं.- कोट , जनपद- पौड़ी पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत ब्लाक प्रमुख तथा खण्ड़ विकास अधिकारी का नाम तथा पदनाम

- प्रमुख, क्षेत्र पंचायत
  खण्ड़ विकास अधिकारी (प्रभारी)

(बसंप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम (

(i) श्री रविन्द सिहं, लेखापरीक्षक

(ii) श्री एस के वर्मा , स.ले.प.अ. .

(iii) श्री के एस चौहान, स.ले.प.अ

(vi श्री वी पी सिंह , ले.प.अ.

(संप्रेक्षा तिथि (25/02/17से 03/03/17 तक

(संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि (2014-15 से 2015-16) तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **ख.वि.अ. क्षे.पं.- कोट, जनपद- पौड़ी**

(अ) उपरोक्त यदि ज़िला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायतो तथा ग्राम पंचायतों की संख्या हैः-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः

भौगोलिक क्षेत्र :-17344.50 वर्ग किमी.

जनसंख्या : 23754

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या -

3- (अ) पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 04

4- (ब) उपसमितियों स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठक की संख्या:06

5- कर्मचारियों की संख्या : 16

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : -

7- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट:-

8- योजनाओं की संख्या :--

9- (अ) सामाजिक संरक्षा

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें- भाग तीन के अनुसार

(द) लाभार्थीयों की संख्या-

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि : कोई नही

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय : आय व्यय विवरण के अनुसार-

(अ-सामान्यः (भाग -3 के अनुसार)

(ब योजनाओं पर ((प्रत्येक योजना का अलग-अलगक दर्शाया जाये) एवं सलग्नक के रुप में लगाया जाये।

12. क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है -

भाग-III

(रु लाख में)

क्र0सं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष		
		2013-14	**2014-15**	**2015-16**
1	**प्रारम्भिक अवशेष(A)**	44.78	78.91	97.53
2	**केंद्रीय वित्त आयोग**	15.14	12.10	6.00
3	**राज्य वित्त आयोग**	-	29.76	21.15
4	**सांसद निधि**	0.20	6.70	13.64
5	**विधायक निधि**	60.14	13.95	33.91
6	**दैवीय आपदा**	8.60	-	-
7	**मनरेगा**	124.49	520.28	4.79
8	**उ0 सीमांत पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि**	-	15.90	22.78
9	**क्षेत्र पंचायत विकास निधि**	7.91	7.24	7.25
10	**विविध आय**	-	2.77	2.48
11	**व्याज से प्राप्ति**	-	3.28	5.58
12	**कुल प्राप्तियाँ (B)**	216.48	611.98	117.58
13	**कुल उपलब्ध राशि(A+B)**	261.26	690.89	215.11
14	**व्यय राशि**	181.54	593.36	126.95
15	**अंतिम अवशेष**	79.72	97.53	88.16

लेखे पर टिप्पणी:

(1) वित्तीय वर्षों 2014-15 एवं 2015-16 में वर्ष के दौरान उपलब्ध राशि का क्रमशः 86% एवं 59% राशि व्यय की गई थी।

(2) व्याज मद में प्राप्त राशि रु 5.58 लाख वर्ष 2015-16 के अंत में बैंक खाते में पड़ी थी, जिसे शासकीय प्राप्ति शीर्ष में जमा किया जाना अपेक्षित था।

(3) इकाई के वित्तीय अभिलेखों में वर्ष 2013-14 का अंतिम अवशेष एवं 2014-15 के प्रारम्भिक अवशेष में रु 0.81 लाख का अंतर था।

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः कार्यालय **खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत- कोट जनपद पौड़ी गढ़वाल** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री वी.पी.सिंह, ले.प.अ. श्री एस.के.वर्मा स.ले.प.अ. श्री के.एस.चौहान, स.ले.प.अ. एवं श्री रविन्द्र सिंह ले.प. द्वारा दिनांक 25.02.2017 से 03.03.2017 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

पूर्व लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के अनिस्तारित प्रस्तरो के इतर निर्धारित प्रारुप में उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग-IV(ब)I**	**प्रस्तर भाग-IV(ब)II**	**STAN**
	1	**1,2**	**1,2,3**
(i)महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर			-

04/2009 से 03/2014

	प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग प्रस्तरों की संख्या**
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर: -		
(ग) सतत अनियमितताओं की सूची:	-	-
(घ) अप्रस्तुत अभिलेख:	-	-

प्रस्तर 4:- ` 65.60 लाख के व्यायोपरान्त भी 01 से 05 वर्षों तक निर्माण कार्य का अपूर्ण रहना।

इकाई की लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान स्वीकृत निर्माण कार्य, जिन्हे 90 दिनों में एवं सड़क को एक वर्ष की अवधी में पूर्ण किया जाना था। आगे देखा गया कि अनुसूची-क में उल्लखित ` 164.36 लाख के निर्माण कार्य एक से पाँच वर्षों की अवधि से अपूर्ण थे जिस पर अवमुक्त राशि ` 75.73 लाख में से ` 65.60 लाख व्यय किया जा चुका था। राशि ` 65.60 लाख के व्ययोपरान्त भी 15 कार्यों से सम्बन्धित क्षेत्र के लोग लाभान्वित नहीं हो रहे थे।

इस सम्बन्ध में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा, एवं धनराशि की उपलब्धता के अनुसार उसी लागत में पूर्ण कराया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि समय की सीमा बढने के कारण कार्य की लागत में वृद्धि होना स्वाभाविक है।

इस प्रकार ` 65.60 लाख के व्ययोपरान्त विगत 01 से 05 वर्षों उपरान्त 15 कार्यो के अपूर्ण रहने का तथ्य प्रकाश में लाया जाता है।

अनुसूची-क

(` लाख में)

क्र.स.	निर्माण कार्य का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत धन.	अवमुक्त राशि	व्यय
	सांसद निधि				
1.	ग्राम देवल में सामु.भवन	2012-13	4.86	3.64	3.64
2.	ग्रा. भण्ड़ालू अनु.जाति बस्ती में सी.सी. मार्ग निर्माण	2014-15	2.50	2.50	1.88
	विधायक निधि				
3.	ग्रा. काण्ड़ा बन. में बैकाल्पिक मोटर मार्ग निर्माण (सी.टो की धार) से अखरोट की पैड की ओर	2013-14	3.00	2.25	0.00
4.	रा.इ.का.देलचौरी में प्रयोग शाला के पीछे दीवार का नवनिर्माण कार्य	2013-14	2.00	1.50	1.50
5.	अनु.जा. बस्ती कोटसाड़ा में पुस्ता, सी.सी. खडन्जा	2014-15	2.50	1.88	1.88
	मेरा गांव मेरी सड़क योजना				
6.	ग्रा. वैधगाँव से तोणक्या तक सड़क निर्माण	2014-15	35.00	10.00	10.79
7.	श्री नगर देल चौटी मोटर मार्ग से धनचड़ा मोटर मार्ग	2014-15	35.00	10.00	10.695
8.	श्यामा पानी से भूतनी सी. तक सड़क निर्माण	2015-16	35.00	8.75	0.00
	उत्तराखण्ड़ सीमान्त एवं पिछ्ड़ा क्षेत्र विकास निधि				
9.	रा.इ.का. दोदल में कक्षा-कक्ष निर्माण	2012-13	5.00	3.75	3.75
10.	कोट क्रीड़ा मैदान में खेल मैदान	2012-13	5.00	4.775	4.775
11.	सामुदायिक केन्द्र निर्माण	2012-13	5.50	3.75	3.75
12.	बाल विकास परियोजना भण्ड़ार कक्ष	2012-13	6.00	5.685	5.685
13.	रा.प्रा.वि. रखूण में कक्षा कक्ष-निर्माण	2014-15	8.00	6.00	6.00
14.	रा.प्रा. वि.देवार में कक्षा-कक्ष निर्माण	2014-15	7.00	5.25	5.25
15.	रा.प्रा.वि. खोला कक्ष में कक्षा-कक्ष	2014-15	8.00	6.00	6.00

	निर्माण				
		योग	**164.36**	**75.730**	**65.595**

भाग 4 खण्ड़-ब-1

प्रस्तर 1:- उत्तराखण्ड़ सीमान्त पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि योजना अन्तर्गत ` 51.50 लाख के कार्यों के क्रियान्वयन में अधिप्राप्ति नियमों का पालन न किया जाना।

उत्तराखण्ड़ सीमान्त पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि योजना अन्तर्गत जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.) द्वारा निर्माण कार्यो की स्वीकृति दी गयी थी[1], जिसका कुल लागत ` 51.50 लाख था। निर्माण की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन दी गयी थीः-

(i) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(ii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनिकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(iii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टियों के अनुरुप सामग्री उपयोग में लायी जाये।

(iv) कार्यों के निर्माण में पूर्व, मध्य एवं समाप्ति के फोटोग्राफ अनिवार्य रुप से लिये जायें।

निर्माण कार्यो के क्रियान्वयन/आवंटन के संबंध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रावधानों के अनुसार-

नियम 12(1) के अनुसार सीमित निविदा पृच्छा की विधि उस समय अपनायी जा सकती है, जब अधिप्राप्ति की जाने वाली सामग्री की अनुमानित लागत ` 15.00 लाख तक हो।

12(2) यह सुनिश्चित करने के लिये कि न्यूनतम तीन निविदायें प्राप्त हों, निविदा दस्तावेज पंजीकृत आपूर्ति कर्ताओं की सूची से तीन से अधिक कार्यों को भेजा जाना चाहिए।

12(3) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रतिस्पर्धा के आधार पर अधिक अनुक्रियाशील निविदा प्राप्त करने के लिये यथा सम्भव अधिकतम अनुमोदित आपूर्ति कर्ताओं को चिन्हित किया जाए।

48(1) साधारणतया ठेकेदारों को अग्रिम दिया जाना वर्जित है तथा किये गये वास्तविक कार्य के सापेक्ष ही भुगतान किया जाये।

---

[1] पत्रांक 114/3-लेखा उ.सी.पि.क्षे. वि.नि./2015-16 दिनांकः 29 अप्रैल 2015, एवं 206/2014-15 दिनांक 31.05.2014

2. (i) रा.इ का दौंदल में कक्षा-कक्षः ` 5.00 लाख, (ii) कोट क्रीड़ा मैदान में सांस्कृतिक भवनः ` 5.00 लाख, (iii) सामुदायिक केन्द्र निर्माण तैड़ीः ` 5.50 लाख, (iv) विकास खण्ड़ मुख्यालय में बाल विकास परियोजना भण्ड़ार-कक्षः ` 6.00 लाख, (v) प्रा.वि. देवार में कक्षा-कक्षः ` 8.00 लाख (vi) प्रा.वि. देवार में कक्षा-कक्षः ` 7.00 लाख (vii) प्रा.वि. खोला खण्ड़ में कक्षा-कक्षः ` 8.00 लाख (viii) कोट साड़ा में सामुदायिक मिलन केन्द्रः ` 7.00 लाख

48(2) अग्रिम धनराशि के समायोजन अथवा कटौती तक, ब्याज की शर्त के अधीन स्वीकृत किये जायेगें।

इकाई की लेखापरीक्षा में देखा गया कि मई 2014 में प्राप्त स्वीकृति के कार्यों की निविदा सूचना दिसम्बर 2014 में प्रकाशित कर एवं अप्रैल 2015 में प्राप्त स्वीकृति के कार्यों की निविदा जनवरी 2016 में प्रकाशित कर कार्य आवंटित किये गये थे। आगे देखा गया कि अधिप्राप्ति नियमावली नियम 12(2) के प्रावधानों के अनुक्रम में सभी कार्यों में तीन अथवा निविदायें प्राप्त किये बिना ही कार्य आवंटित किये गये थेः-

(धरोहर राशि के आधार)

क्र.सं.	**कार्य का नाम**	**प्राप्त निविदायें**	**वैध निविदा पत्र**
1.	कोट क्रीड़ा मैदान सांस्कृतिक भवन	02	02
2.	सामुदायिक केन्द्र तैड़ी	03	02
3.	बाल विकास परियोजना भण्ड़ार	05	04
4.	प्रा.वि. रखूण में कक्षा कक्ष	03	03
5.	प्रा.वि देवार में कक्षा कक्ष	02	01
6.	प्रा.वि खोला कण्ड़ में कक्षा कक्ष	04	03

प्रावधानों के विरुद्ध ठेकेदारों को कार्य सम्पादित कराये बिना एवं बिना किसी धरोहर राशि के ब्याज रहित अग्रिम जारी किये गये थे। तथा अग्रिमों का समायोजन प्रथम माप पर भुगतान के समय किये गये थे। विलम्ब की दशा में कार्यादेश में कोई दण्डात्मक प्राविधान नहीं था। इस प्रकार कार्यों के आवंटन एवं क्रियान्वयन में निम्न कमियां थीः-

1. कार्यों के आवंटन सम्बन्धी उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों के अनुरुप प्रतियोगी दरें नहीं ली गयी थी।
2. ठेकेदार को अग्रिम दिये जाने सम्बन्धी प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था।
3. आयकर/बिक्रिकर सम्बन्धी कटौतियों चयनित बिलों से न कर अंतिम भुगतान के समय किये गये, जिससे ठेकदार को वास्तविक लाभ पहुँचाया गया।
4. कार्य स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता जाँच सम्बन्धी प्रतिवेदन पत्रावली में संलग्न नहीं थे जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि सामग्री की गुणवत्ती जाँच करायी गयी अथवा नहीं।
5. इस प्रकार ` 51.50 लाख के कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन अपेक्षित मानकों/नियमों के अनुपालन किये बिना कराया गया था तथा ठेकेदारों को अग्रिम देकर अपेक्षित आयकर/बिक्रिकर की कटौतियों को समय से न कर अप्रत्यक्ष लाभ पहुँचाया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि तथ्यों को संज्ञान में ले लिया गया है, भविष्य में अनुपालन किया जायेगा, कार्य की प्रगति एवं समय से पूर्व करने हेतु अग्रिम का भुगतान किया गया था, स्वीकृत आगणन के आइटमों एवं अंतिम माप में प्रदर्शित भिन्नता के सम्बन्ध में इकाई द्वारा कोई अन्तर नहीं दिया गया।

तथ्य प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 4 खण्ड़-ब-2

प्रस्तर 1:- मेरी गाँव मेरी सड़क योजना अन्तर्गत ` 42.24 लाख के व्ययोपरान्त भी निर्माण का अपूर्ण एवं अलाभकारी पड़े रहना।

उत्तराखण्ड़ राज्य एक पर्वतीय राज्य होने तथा विषम भौगोलिक, आर्थिक एवं संसाधनिक परिस्थितियों के कारण अन्य राज्यों से भिन्न है। राज्य के दुर्गम क्षेत्रों के स्थानीय लोगो को आम जनमानस से जोड़ने तथा उनकी मूल-भूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से मेरी गाँव मेरी सड़क योजना आरम्भ की गयी। इस योजना के तहत एक किमी तक की लम्बाई की छोटी सड़क मुख्य मार्ग से जोड़नी है जो गावों को जोडेगी। वित्तीय व्यवस्था के तहत इस योजना में 50 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी एवं शेष 50 प्रतिशत धनराशि मनरेगा/सांसद निधि/विधायक निधि एवं अन्य मद से व्यय की जायेगी।

क्षेत्र पंचायत कोट की लेखा परीक्षा (मार्च 2017) में अभिलेख की जांच में देखा गया कि उक्त योजना के तहत निम्न सड़को का निर्माण किया जाना स्वीकृत था, जिसकी लम्बाई एक किमी थी।

i) ग्राम लसेर श्यामा पानी से राजस्व ग्राम भूतनिस्ती तक सड़क निर्माण - ` 52.86 लाख
ii) देल चौरी मोटर मार्ग से धनचड़ा होते हुये नकोट गूंठ तक सड़क निर्माण - ` 77.17 लाख
iii) ग्राम वैध गाँव से तोणक्या तक सड़क निर्माण - ` 83.55 लाख

उपरोक्त मे से क्रमांक 01 पर वर्णित कार्य से सम्बंधित अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि गणित आगणन को कम करके ` 35.00 लाख की तकनिकी स्वीकृति प्राप्त की गयी। आगे जाँच में देखा गया कि कार्य में कटिंग का कार्य तो हो गया है, परन्तु सी.सी. एवं दीवारों का कार्य नहीं कराया गया था, तथा शासन द्वारा अवमुक्त गये धनराशि ` 28.75 लाख तथा मनरेगा से किये व्यय से सम्पादित कार्य अपूर्ण पड़ा हुआ था तथा उसके लाभ से ग्रामवासी वंचित थे। लेखापरीक्षा की तिथि तीनों कार्यों पर किया गया व्यय ` 42.24 लाख (राज्याशः ` 26.27 लाख तथा मनरेगा मदः ` 15.97 लाख) था।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि अवशेष धनराशि की मांग की जा रही है एवं पौडी गढ़वाल के समस्त विकास खण्ड़ों में कार्यरत समस्त अपर सहायक अधिशाषी अभियन्ता द्वारा शासन से स्वीकृत धनराशि में सड़क निर्माण कार्य पूर्ण न हो पाने सम्बन्धी तथ्य रखे गये हैं, इस सम्बन्ध में जिला विकास अधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि सड़कों के कार्य पूर्ण करने हेतु यदि ` 5-10 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है तो इसे मनरेगा योजना मद से 60.40 के अनुपात में विकास खण्ड़ द्वारा व्यय किया जा सकता है।

अतः ` 42.24 लाख के व्ययोपरान्त भी कार्य के अपूर्ण रहने एवं उसकी पूर्णतया हेतु अतिरिक्त धन के प्रावधान न रहने का तथ्य प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1:- जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में अग्रिम पंजी का समुचित रखरखाव न किया जाना।

जिला विकास अधिकारी, पौड़ी द्वारा जनपद के समस्त खण्ड़ विकास अधिकारी का निर्देशित किया गया था कि विकास खण्ड़ द्वारा निर्माण कार्यों के सापेक्ष दिये गये अग्रिमों के समायोजन के अनुश्रवण हेतु अग्रिम पंजी नहीं बनायी गयी है एवं इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है।

इकाई के अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि उपरोक्त के अनुपालन में मई 2011 से फरवरी 2012 तक के अग्रिमों के सम्बन्ध में अग्रिम पंजी बनायी गयी थी परन्तु मार्च 2012 से मार्च 2016 क विवरण उसमें दर्ज नहीं थे। यह भी देखा गया कि वर्ष 2011-12 में दिये गये अग्रिमों का समायोजन वित्तीय वर्ष के बाद गया था।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि वर्ष 2012-13 से विकास खण्ड़ में पंजीकृत ठेकेदारों के द्वारा निविदा के माध्यम से कार्य सम्पादित कराये जा रहे हैं, इस कारण अग्रिम पंजी नहीं बनायी गयी है। जारी कार्य आदेश एवं उसके सापेक्ष दिये गये अग्रिमों को अग्रिम पंजिका में अंकन किया जायेगा।

तथ्य प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 4 खण्ड़-ब-2

प्रस्तर 2:- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियमावली के तहत उपकर का प्रावधान एवं कटौती न किया जाना।

विभिन्न निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा अधिनियम-भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मचार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियम) अधिनियम 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 1998 के अन्तर्गत विनियमित किये गये हैं जिसमें निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के उपरान्त उन्हें विभिन्न हितकारी योजनाओं जैसे पेंशन, दुर्घटना मुआवजा मृत्योपरान्त सहायता, चिकित्सा सहायता, मातृत्व हितलाभ, पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता, टूल किट के रुप में सहायता आदि द्वारा लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है।[2] क्त अधिनियम में पंजीकृत श्रीमिकों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण कार्य की लागत का एक प्रतिशत उपकर के रुप में कल्याण बाड़ की निधि में जमा करने का प्रावधान था।

उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत सरकारी/गैर सरकारी सभी प्रकार के ऐसे निर्माण कार्य सम्मिलित किये गये हैं जिसमें 10 या 10 से अधिक निर्माण श्रमिक विगत एक वर्ष में किसी भी दिन नियोजित रहे हैं। उत्तराखण्ड़ विकास अधिकारी, मण्ड़ी परिषद के समस्त उपनिदेशक (निर्माण) तथा ग्रामिण अभियन्ता सेवा के अधिशाषी अभियन्ताओं को उपकर निर्धारण एवं संग्रहण हेतु आधीकृत किया गया था।

इकाई की लेखापरीक्षा में अभिलेखों यथा बिल बाउचरों आदि में देखा गया कि विकास खण्ड़ द्वारा न तो ठेकेदारों के बिलों से उपकर की कटौती कर निर्धारित लेखे में जमा की गयी है। और न ही निर्माण कार्यों के आगणन में 1 प्रतिशत उपकर का प्रावधान किया गया है तथा शासन के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि उपकर कटौती सम्बन्धी शासनादेश उपलब्ध न होने के कारण उक्त उपकर का प्रावधान एवं कटौती नहीं की जा रही थी, भविष्य में उक्त प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः निर्माण कार्यों के आगणनों में श्रमिक उपकर सम्बन्धी प्रावधान कर काटौती न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

---

[2] पत्र सं. 740/VII/14-680(श्रम)/2002 टी.सी.-II दिनांक 13.08.14

भाग 4 खण्ड़-ब-2

प्रस्तर 3:- अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों का के कार्य आवंटन में अनुपालन न किया जाना तथा बिना कार्यस्थल के सम्यक सर्वेक्षण के आगणन गठित किया जाना।

जिला ग्राम्य सभा देवाल में सामुदायिक भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी थी (फरवरी-2015) कार्य की लागत ` 5.00 लाख थी तथा उसे अनुसूचित जाति श्रेणी में प्रस्तावित किया गया था, कार्य की तकनिकी स्वीकृति परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अधिकरण, पौड़ी को प्रेषित थी। (फरवरी 2015)

इकाई की लेखापरीक्षा में अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि कार्य के क्रियान्वयन हेतु खण्ड़ विकास अधिकारी कोट द्वारा अल्पकालीन निविदा आंमत्रित कर डी श्रेणी के ठेकेदारों से दरें मांगी गयी थी, निविदा की शर्ते निम्न थीः-

1. निविदा के साथ निर्धारित धरोहर राशि का एन.एस.सी./एफ.डी.आर. आदि जमानती अभिलेख जो खण्ड़ विकास अधिकारी, कोट के पद नाम से बंधक की जानी थी।
2. निविदा प्रपत्र के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न करनी थी।
3. निविदा की दरें आगणन दरों के अन्तर्गत प्रतिशत में मान्य होंगी, तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार आयकर बिक्रिकर एवं रायल्टी की कटौती की जायेगी।

उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली -2008 के नियम 12(1) के अनुसार ` 15.00 लाख तक के कार्य हेतु सीमित निविदा पृच्छा की प्रक्रिया अपनायी चानी चाहिए, 12(2) के अनुसार निविदा प्रपत्र तीन से अधिक फर्म/ठेकेदारों को प्रेषित किया जना चाहिए ताकि कार्य के सम्बन्ध में प्रतियोजी दर प्राप्त किया जा सके।

आगे देखा गया था कि कार्य के सम्पादन हेतु स्थानीय पत्र में निविदा सूचना आंमत्रित की गयी थी तता नियमानुसार निर्धारित 14 दिनों की समय सीमा भी नहीं दी गयी थी। विज्ञापन के उपरान्त प्राप्त तीन निविदाओं जिनमें से दो में EMD संलग्न नहीं थी के आधार पर कार्य का आवंटन किया गया। कार्य को अगस्त 2015 में प्रारम्भ कर जनवरी 2016 में समाप्त करना था। ठेकेदार को ` 2.00 लाख का अग्रिम भुगतान किया गया था। (जनरी 2016) आगे देखा गया कि कार्य के स्वीकृत आगणन के विभिन्न मदों एवं क्रियान्वित मात्रा में भिन्नता थी, जो इस बात की घोतक थी कि कार्य का आगणन स्थल के सम्यक सर्वेक्षण के बिना ही बनाया गया है, लेखापरीक्षा की तिथि (फरवरी 2017) तक अवशेष राशि ` 1.22 लाख इकाई को अप्राप्त थे। पत्रावली में कार्य को विलम्ब से पूर्ण किए जाने का कोई विवरण उल्लिखित नहीं था।

इस प्रकार ठेकेदार को लाभ देते हुये मात्र 01 निविदा पत्र के आधार पर कार्य आवंटन किया गया एवं अवशेष राशि ` 1.22 लाख का लेखा परीक्षा की तिथि तक अप्राप्त थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुये बताया गया कि भविष्य में कार्यों में अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति क्षेत्र पंचायत -कोट, **जिला- पौडी,** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,वैभव पैलेस,सी-1/105,इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्था0नि0